

रकशा के अधिकारों को सोपने का सूचीपत्र

नमूना

कृपया नमूने वाले पेपर पर हसताक्षर मत कीजिये यह केवल जानकारी के लिये है।

अधिकार देने वाला अंश

(इस अंश में सरकार द्वारा खरचे के लिये गये हक बताये जाते हैं। अधिक जानकारी के लिये आप परिवारिक खरचे के करमचारी को पूछ सकते हैं।)

केन्द्रीय सरकार को हक है:

- मेरी तरफ से खरचे के समझोते या हुकम लेने का या उसमें किसी किसम का परिवरतन करने के लिये काम कर सके।
- यदि पैसे देने वाला रकम को कम करने की कोशिश करे तो मेरी तरफ से उचित कारवाही कर सके।
- खरच के शमझोते को लागू करवाये
- मेरे लिये रकम को वसूल करे
- बरिटिश कोलम्बीआ से बाहर भी खरचे के समझोते तथा हुम की देख रेख करे।
- भुगतान नाँ की गड़ रकम वसूल करने का इन्तजाम करे

हसताक्षर करने वाला अंश

(आपके नाम तथा हसताक्षर पर किसी बालग वयकती की गवाही चहीये)

यह नियुक्ति खतम हो जाती है जब मुझे मदद की जरूरत नहीं रहती, मुझे पिछले सारे पैसे मिल चुके हैं और मुझे यह नियुक्ति खतम होने के पेपर भी मिल चुके हैं।

हक सौप देने वाला अंश

(यहाँ हसताक्षर मत कीजिये. यह अंश रोजगार तथा मदद या पवारिक खरचे के करमचारी को भरना है।)

जबतक मेरा नाम परिवारिक रकशा के विभाग मे नहीं चला जाता, मैं वरतमान वाली महीने की बचो को पालने की किशत पा सकता/सकती हूँ। जब मेरा नाम परिवारिक खरचा लागू करने वाले विभाग में दाखिल हो जायेगा तब सारे पैसे का भुगतान उसी परोगराम के जरीये होगा।

नमूना

इस नमूने पर हस्ताक्षर मत कीजिये
यह केवल जानकारी के लिये है

अधिकार देने वाले अंश की शर्तें

(जब आप अपने खर्चा वसूल करने के अधिकार ह्यूमैन रीसोर्स की मनिस्टरे को सौंपते है तो उनकी यह शर्ते आप मनजूर करते है।)

- ह्यूमैन रीसोर्स की मनिस्टरी तथा परिवारिक खर्चे को लागू करने वाले विभग आपस मे मेरी दी गडी सूचना कौ बाँट सकते है
- मेरी तरफ से मनिस्टर कौ भी मेरे अदालत के पेपर लेने की इजाजत है।
- किसी हुकम को पाने,उसमें कोडी तबदीली लाने या लागू करने के लिये मैं अपनी निजी जानकारी देने के लिये तयार हूं।मैं सभी नियुक्ति,सभा या अदालत मे आने के लिये तयार हूं।
- मनिस्टर की लिखती आज्ञा के बिनाँ अपने पहिले साथी से किसी किसम का समझोता नही नही कर सकते,यदि औसा कुछ हुआ तो शायद मुझे मदद देने से मनाँ किया जा सकता है।
- मुझे मालूम है कि वकील सरकार के साथ मेरी तरफ से काम कर रहा है किन्तू वो मेरे लिये काम नही करता।
- मुझे मालूम है कि जब तक मुझे सहायता मिलती है,खर्चे की किशतों पर सरकार का अधिकार है।केवल मनिस्टर ही सरकार का पिछला करज कम कर सकता है,माफ कर सकता है या कोडी और इन्तजाम कर सकता है।सरकार मेरे मशवरे के बगैर मुझे दी जाने वाली रकम को कम या खतम नही कर सकती।
- यह समझोता तब तक रहिता है जब तक मुझे मदद मिलती है तथा मुझे सरकार का कोइ रिण नही देना है;